



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-22032024-253304
CG-DL-E-22032024-253304

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 203]
No. 203]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मार्च 21, 2024/चैत्र 1, 1946
NEW DELHI, THURSDAY, MARCH 21, 2024/CHAITRA 1, 1946

भारतीय मानक ब्यूरो
(उपभोक्ता मामले विभाग)
अधिसूचना
नई दिल्ली, 14 मार्च, 2024

संदर्भ:—HQ-PUB015/1/2020-PUB-BIS (829).— भारतीय मानक ब्यूरो नियम, 2018 के नियम 15 के उपनियम (1) के अनुसरण में भारतीय मानक ब्यूरो एतद्वारा अधिसूचित करता है इसमें संलग्न अनुसूची में दिये गये मानकों में संशोधन किये गये हैं।

अनुसूची

क्रम सं.	स्थापित भारतीय मानकों की संख्या, वर्ष तथा शीर्षक	संशोधनों की संख्या एवं तिथि	संशोधनों की प्रतिस्थापन तिथि	तिथि जब तक मानक तीसरे स्तंभ में इंगित संशोधन के बिना भी लागू रहेगा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	आई एस 802 (भाग 1/अनुभाग 1) : 2015 शिरोपरि प्रेषण लाईन टावरों में संरचना इस्पात उपयोग — रीति संहिता	संशोधन संख्या 1 मार्च 2024	14 मार्च 2024	13 अप्रैल 2024

भाग 1 सामग्री, भार और अनुमत प्रितबल अनुभाग 1 सामग्री और भार (चौथा पुनरीक्षण)			
--	--	--	--

पी. राजेश, वैज्ञानिक जी एवं उप महानिदेशक (आई टी एस, पी आर टी एवं टी एन एम)
[विज्ञापन-III/4/असा./859/2023-24]

BUREAU OF INDIAN STANDARDS

(Department of Consumer Affairs)

NOTIFICATION

New Delhi, the 14th March, 2024

Ref: HQ-PUB015/1/2020-PUB-BIS (829).—In pursuance of Sub-rule (1) of Rule (15) of the Bureau of Indian Standards Rules, 2018, the Bureau of Indian Standards hereby notifies that Amendments to Indian standards, particulars of which are given in schedule hereto annexed have been established.

SCHEDULE

Sl No.	No., Year & Title of the Indian Standard	No. and Month/Year of the Amendment	Date of Establishment of the Amendment	Date till which the standard without the amendment as mentioned in column 3 shall remain in force
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	IS 802 (Part 1/Section 1) : 2015 Use of Structural Steel in Overhead Transmission Line Towers — Code of Practice Part 1 Materials, Loads and Design Strengths Section 1 Materials and Loads (Fourth Revision)	Amendment No. 1 March 2024	14 March 2024	13 April 2024

P. RAJESH, Scientist G & DDG (ITS, PRT & TNM)

[ADVT.-III/4/Exty./859/2023-24]